फर्द अहकाम (नियम 26)

हरनेकसिंह बनाम जैलसिंह

मुकद्मा नम्बर 111/2013 अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुआ
24.06.2017	वकील उभय पक्ष उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि दिनांक 06.05.2015 की आदेशिका के अनुसार प्रकरण से सम्बंधित पत्रावली न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर में भी विचाराधीन है जिसके अन्तिम निर्णय होनें तक इस न्यायालय की पत्रावली में कार्यवाही स्थगित की गई है। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर में विचाराधीन पत्रावली का निस्तारण हो चुका है। ऐसी अवस्था में न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर में विचारधीन पत्रावली में जब तक अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उक्त पत्रावली को भी विचाराधीन रखनी न्यायोचित नहीं है। अतः उक्त पत्रावली को वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (यशपाल आहूजा) उपखण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर	